राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1081/2014 एवं 1082/2014 जिला : जयपुर
उनवान मैसर्स नाटाणी रोलिंग मिल्स प्रा.लि. जयपुर बनाम वा.क.अ.,प्रतिकरापवंचन,राज. वृत–प्रथम,जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी,तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.2014	खण्डपीठ श्री सुनील शर्मा,सदस्य श्री मदन लाल,सदस्य अपीलार्थी के ओर से श्री जी.एन.शर्मा, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपीलार्थी की ओर से उक्त दोनों अपीलें मय स्टे प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी,प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 10.06.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी., प्रतिकरापवंचन,राज. वृत–प्रथम,जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25,55 व 61 के तहत् निर्धारण वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिये पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.05..2014 में विवादित मांग राशियों क्रमशः रू. 24,63,545/– एवं रू. 25,75,473/– में से क्रमशः रू. 14,24,028/– एवं रू. 15,42,078/– पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष राशियों की वसूली पर स्थगन प्रदान नहीं किया गया है, किन्तु अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई सम्पूर्ण राशि पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश क्रमशः दिनांक 10.06..2014 के अवलोकन से स्प्ष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों पर स्थगन प्रदान करते हुए कर एवं ब्याज राशियों पर स्थगन प्रदान नहीं किया गया है। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं की गई बहस पर मनन करने पर यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशियों में से पर्याप्त राशियों पर स्थगन प्रदान कर दिया गया है,जिसमें हस्तक्षेप करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आवेदित राशियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया जाता है तथा अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया । 7.10.2014 (मदन लाल) सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	